भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1325
दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आरएफएल का उन्नयन

†1325. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का दावणगेरे स्थित मौजूदा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एन.एफ.एस.यू.) की स्थापना वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत, देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति प्रदान करने के लिए की गई है। एन.एफ.एस.यू. का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थित है और देश में विभिन्न ऑफ-कैंपस व संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता है।

(ख) और (ग): एन.एफ.एस.यू. के ऑफ-कैंपस और संबद्ध कॉलेजों की स्थापना छात्रों की उपलब्धता, स्थान की व्यवहार्यता और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की इच्छा जैसे कारकों पर आधारित है। धारवाड़, कर्नाटक में एन.एफ.एस.यू. का ऑफ-कैंपस पहले से ही अपने अस्थायी परिसर से क्रियान्वित है।

****